



# भारत का राजपत्र

## The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)  
PART II—Section 3—Sub-section (i)प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITYसं. 570]  
No. 570]नई दिल्ली, शुक्रवार, अक्टूबर 24, 2008/कार्तिक 2, 1930  
NEW DELHI, FRIDAY, OCTOBER 24, 2008/KARTIKA 2, 1930

वित्त मंत्रालय

(आर्थिक कार्य विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 24 अक्टूबर, 2008

सा.का.नि. 753(अ).—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारतीय आर्थिक सेवा नियम, 2008 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती हैं, अर्थात् :—

- संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम भारतीय आर्थिक सेवा (दूसरा संशोधन) नियम, 2008 है ।  
(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।
- अनुसूची का संशोधन.—भारतीय आर्थिक सेवा नियम, 2008 की अनुसूची 2 में,—

(क) उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय से संबंधित क्रम सं. 5 में मद (ख) और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात् निम्नलिखित मद और प्रविष्टियां अंतःस्थापित की जाएंगी, अर्थात् :—

क्र. सं.	मंत्रालय या विभाग	पदों की संख्या उच्चतर प्रशासनिक श्रेणी + प्रधान सलाहकार या समतुल्य (रु. 26,000 नियत)	पदों की संख्या उच्चतर प्रशासनिक श्रेणी वरिष्ठ आर्थिक सलाहकार या समतुल्य (रु. 22,400-525-24,500 रु.)	पदों की संख्या उच्चतर प्रशासनिक श्रेणी आर्थिक सलाहकार या समतुल्य (18,400-500-22,400 रु.)	अकृतिक चयन श्रेणी पदों की संख्या कनिष्ठ प्रशासनिक श्रेणी (अपर आर्थिक सलाहकार, निदेशक या उप आर्थिक सलाहकार, संयुक्त निदेशक या समतुल्य) (रु. 14,300-400-18,300/रु. 12,000-325-16,500)	पदों की संख्या ज्येष्ठ समय वेतनमान सहायक आर्थिक सलाहकार या उप निदेशक या समतुल्य (रु. 10,000-325-15,200)	पदों की संख्या कनिष्ठ समय वेतनमान अनुसंधान अधिकारी या सहायक निदेशक या समतुल्य (रु. 8,000-275-13,500)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)

"(ग) खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग

1";

(ख) श्रम और रोजगार मंत्रालय से संबंधित क्रम सं. 11 में, समुचित मंत्रालय से संबंधित मद (क) के सामने स्तंभ (6) के नीचे अंक "4" के स्थान पर अंक "3" रखा जाएगा।

[फा. सं. 13015/1/2006-आईईएस]

राजन कुमार, निदेशक

टिप्पण : भारतीय आर्थिक सेवा नियम, 2008 भारत के राजपत्र में अधिसूचना सा.का.नि. 435(अ), तारीख 6 जून, 2008 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और अधिसूचना सा.का.नि. 648(अ) तारीख 10 सितम्बर, 2008 द्वारा उनका पश्चात्पूर्ती संशोधन किया गया।

**MINISTRY OF FINANCE**

(Department of Economic Affairs)

**NOTIFICATION**

New Delhi, the 24th October, 2008

**G.S.R. 753(E).**— In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules further to amend the Indian Economic Service Rules, 2008, namely :—

**1. Short title and commencement.**—(1) These rules may be called the Indian Economic Service (Second Amendment) Rules, 2008.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

**2. Amendment of the Schedule.**—In the Indian Economic Service Rules, 2008, in Schedule II,—

(a) in Serial No. 5 relating to Ministry of Consumer Affairs, Food and Public Distribution, after item (b) and entries relating thereto, the following item and entries shall be inserted, namely,—

Sl. No.	Ministry or Department	Number of posts at Higher Administrative Grade + (Principal Adviser or equivalent) (Rs. 26,000 fixed)	Number of posts at Higher Administrative Grade (Senior Economic Adviser or equivalent) (Rs. 22,400-525-24,500)	Number of posts at Senior Administrative Grade (Economic Adviser or equivalent) (Rs. 18,400-500-22,400)	Number of posts at Non-Functional Selection Grade/ Junior Administrative Grade (Additional Economic Adviser, Director or Deputy Economic Adviser, Joint Director or equivalent) (Rs. 14,300-400-18,300/Rs. 12,000-325-16,500)	Number of posts at Senior Time Scale (Assistant Economic Adviser/Deputy Director or equivalent) (Rs. 10,000-325-15,200)	Number of posts at Junior Time Scale (Research Officer/ Assistant Director or equivalent) (Rs. 8,000-275-13,500)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
"C"	Department of Food and Public Distribution				1";		

(b) in Serial No. 11 relating to Ministry of Labour and Employment, against item (a) relating to Ministry proper, under Column (6), for the figure "4", the figure "3" shall be substituted.

[F. No. 13015/1/2006-IES]

RAJAN KUMAR, Director

**Note :** The Indian Economic Service Rules, 2008 were published in the Gazette of India, *vide*, notification G.S.R. 435(E), dated 6th June, 2008 and subsequently amended, *vide*, notification G.S.R. 648(E), dated 10th September, 2008.